REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227408 CG-DL-E-07062021-227408

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943No. 314]NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

सा.का.नि. 392(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 38क,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, शब्दों "और बैंक में खाता खोलने" के स्थान पर शब्द "बैंक में खाता खोलना तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) प्रारंभिक भाग में, अक्षरों "एजीआईएलई-प्रो" के स्थान पर अक्षर "एजीआईएल-प्रो-एस" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) "व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण तथा बैंक में खाता खोलना" से संबंधित खंड "(ग) तथा (घ)" के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:-

"(घ) दिनांक 23 फरवरी, 2020 की प्रभावी तिथि से व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण;

(ड.) दिनांक 23 फरवरी, 2020 की प्रभावी तिथि से बैंक में खाता खोलना;

"(च) दुकान तथा प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण।"।

3024 GI/2021

3. उक्त नियमों के अनुलग्नक में, ई-प्ररूप सं. आईएनसी-35 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्या आईएनसी-35 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38क के अनुसरण में] ।



एजीआईएलई-प्रो-एस (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रजिस्ट्रीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रजिस्ट्रीकरण, व्यावसायिक कर रजिस्ट्रीकरण, बैंक में खाता खोलने तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन)

(यह एजीआईएलई-प्रो प्ररूप जीएसटीआईएन/ईपीएफओ/ईएसआईसी/व्यावसायिक कर/बैंक खाता/दुकान एवं प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्पाइस+ प्ररूप का भाग है)

	* कंपनी का नाम
1.	*क्या आप जीएसटीआईएन के लिए आवेदन करना चाहते हैं? Oहां Oनहीं
2.	*राज्य (स्पाइस+ में प्रविष्ट किए गए अनुसार)
3.	*जिला (स्पाइस+ में प्रविष्ट किए गए अनुसार)
4.	*राज्य क्षेत्राधिकार
	*सेक्टर/सर्किल/वार्ड/चार्ज/इकाई
5.	*केंद्र क्षेत्राधिकार
	आयुक्तालय
	प्रभाग
	रैंज
6.	*रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के कारण
7.	*क्या प्रतिष्ठान पट्टे पर है 0 हां 0 नहीं
	*पट्टे की अवधि से से तक
	(क) *परिसर के कब्जा का स्वरूप
	(ख) *व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण
	(ग) *क्या प्रतिष्ठान का भवन/परिसर निजी है या किराए पर है
	*यदि किराए पर है या इकाई/स्वामित्व के नाम में बदलाव है,
	कृपया दर्शाएं
	*पट्टे की अवधि से से तक
8.	*संयोजन हेतु विकल्प O हां O नहीं

(क) संयोजन की घोषणा

 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त व्यवसाय में संयोजन उद्गहण के तहत कर भुगतान का विकल्प चयन करने के लिए अधिनियम या नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा बाध्यताओं का पालन किया जाएगा।

- गैर अधिसूचित वस्तुओं का निर्माता
- खाद्य और गैर-मादक पेय वितरक
- कोई अन्य पात्र वितरक
- 9. *उपर्युक्त परिसर में की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का स्वरूप (कृपया जो लागू है, उस पर निशान लगाएं)

फैक्टरी/विनिर्माण	0	थोक व्यापार	0	खुदरा व्यापार	0
गोदाम/डिपो	0	अनुबंधित गोदाम	0	सेवाओं के वितरक	0
कार्यालय/बिक्री कार्यालय	ο	पट्टा व्यवसाय	0	वस्तुओं या सेवाओं का	0
				प्राप्तकर्ता	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	0	कार्य अनुबंध	0	निर्यात	0
आयात	о	अन्य (विनिर्दिष्ट करें), यदि अन्य है तो उसे	0		0
		विनिर्दिष्ट करें			

(क)	*प्राथमिक व्यवसाय गतिविधि	
	*यदि अन्य का चयन किया गया है, तो कृपया उसे विनिर्दिष्ट करें	
(ख)	*कार्य/व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति	
	*कार्य उप-श्रेणी	
	*व्यवसाय कार्य की प्रकृति	
10.	*व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण	
	एचएसएन कोड (चार अंक)	(पूर्व पूरित)
	वस्तुओं के ब्यौरे	
11.	*व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे	
	सेवा लेखांकन कोड	(पूर्व पूरित)
	सेवाओं का विवरण	

12. निदेशकों/प्राथमिक स्वामियों/पदधारी/ बैंक एवं व्यावसायिक कर के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विवरण

(ओपीसी के लिए प्रविष्ट किए जाने वाले निदेशकों की न्यूनतम संख्या 1, प्राइवेट कंपनी के मामले में 2, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में 3 और उत्पादक कंपनी के मामले में 5 होगी।)

निदेशकों की संख्या का विवरण प्रविष्ट किया जाना है

(क) *उस निदेशक का विवरण प्रविष्ट करें जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी भी है

* O निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	0 स् ^द	थायी खाता संख्या (ⁱ	पैन)
*डीआईएन	(पूर्व पूरित)	(फोटोग्राफ)	
*पैन			
			(फोटोग्राफ लगाएं) (फोटोग्राफ हटाएं)
*पहला नाम			

मध्य नाम	٢
*अंतिम न	ाम
*निजी मो	ोबाइल संख्या (ओटीपी भेजें)
*निजी ई-	-मेल पता
*मोबाइल	। संख्या के लिए ओटीपी लिखें (ओटीपी सत्यापित करें)
*ई-मेल प	ता के लिए ओटीपी लिखें
क्या आफ	जीएसटीएन रजिस्ट्रीकरण के लिए आधार का अधिप्रमाणन करना चाहते हैं 0हां 0नहीं
(ख) *प्राधि	धेकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी के अलावा निदेशक का विवरण
* O निदेश में)	शक पहचान संख्या (डीआईएन) O स्थायी खाता संख्या (पैन)/पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रीयता के मामले
*डीआईए	न) (पूर्व पूरित) (फोटोग्राफ)
*पैन/पास	पोर्ट संख्याइस बॉक्स में एक
	इस बॉक्स में एक नवीनतम पासपोर्ट
	आकार की फोटोग्राफ
	(फोटोग्राफ लगाएं) (फोटोग्राफ हटाएं) लगाएं
*पहला न	ाम
मध्य नाम	٢
*अंतिम न	गम
*निजी मो	ोबाइल संख्या
*निजी ई-	-मेल पता
13. '	*पुलिस थाना
14. '	*नियोक्ता का ब्यौरा
ć	*उचित कार्यालय शाखा का चयन करें
ć	*जांच कार्यालय का चयन करें
15. '	*बैंक का विवरण
	*बैंक का नाम
16. g	दुकानों एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रीकरण का विवरण
7	क्या दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है? 0हां 0नहीं
	1. प्रतिष्ठान की श्रेणी

2. व्यवसाय का स्वरूप

संलग्नक

		संलग्नकों की सूची
1.	व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण	संलग्न करें
2.	जीएसटीएन के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाण	संलग्न करें
	(इनमें से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जाए)	
	(प्राधिकार पत्र/प्रबंधन समिति/निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति तथा स्वीकृति पत्र)	
3.	*बैंक खाता खोलने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पहचान का प्रमाण	संलग्न करें
4.	*बैंक खाता खोलने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पते का प्रमाण	संलग्न करें
5.	ईपीएफओ के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना	संलग्न करें
		संलग्नक हटाएं

जीएसटी घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

 मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

*ईएसआईसी घोषणा (पदधारी द्वारा)

 मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
 मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआई निगम को परिवर्तनों, यदि कोई हो, के बारे में ऐसे परिवर्तनों के होते ही यथा-शीघ्र सूचित भी करूंगा।

व्यवसाय कर घोषणा

उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

*ईपीएफओ की घोषणा (मूल स्वामी द्वारा)

 मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है और इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

*बैंक घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं बैंक और इसके कर्मचारियों को बैंक खाता खोलने के उद्देश्य के लिए मुझे फोन/ई-मेल/एसएमएस संदेश के द्वारा संपर्क करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया द्वारा सृजित बैंक खाता संख्या को बैंकों द्वारा एमसीए के साथ साझा किया जाएगा।

मैं/हम खाता को सक्रिय करने से पूर्व बैंक के केवाईसी मानकों के अनुरूप सभी दस्तावेजी अपेक्षाओं को पूरा करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

*दुकानों एवं प्रतिष्ठान (दिल्ली) की घोषणा (मूल स्वामी द्वारा)

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है। स्थान दिनांक पदनाम निदेशक

*निदेशक (जिसने स्पाइस+प्ररूप पर हस्ताक्षर किए हैं) द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएं

*डीआईएऩ/पैन (डीएससी बॉक्स)

(एजीआईएलई-प्रो प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी अपना स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराएंगे)

(उपांतरित करें)	(प्ररूप की जांच करें)	(पूर्व संवीक्षा)	(प्रस्तुत करें)
\ =	\mathbf{v}		1

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V-खंड.IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और 5 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158(अ) के तहत पिछली बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

G.S.R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Fourth Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 38A,-

(i) in the marginal heading, for the words, "and Opening of Bank Account", the words, ",Opening of Bank Account and Shops and Establishment Registration", shall be substituted;

(ii) in the opening portion, for the letters "AGILE-PRO", the letters "AGILE-PRO-S" shall be substituted;

(iii) for clauses "(c) and (d)" relating to "Profession Tax Registration and Opening of Bank Account", the following clauses shall be substituted, namely:-

"(d) Profession Tax Registration with effect from the 23rd February, 2020;

(e) Opening Bank Account with effect from the 23rd February, 2020;

(f) Shops and Establishment Registration.".

3. in the Annexure to the said rules, for the e-Form No.INC-35, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM NO. INC-35	AGILE-PRO-S
[Pursuant to rule 38A of the	
Companies (Incorporation) Rules, ^L	
2014]	($f A$ pplication for $f G$ oods and services tax Identification number , employees state
	nsurance corporation registration pLus
	Employees provident fund organization
	registration, ${f P}$ rofession tax ${f R}$ egistration,
	O pening of bank account and S hops and Establishment Registration)

(This AGILE-PRO form is part of SPICe+ form for GSTIN / EPFO / ESIC/ Profession Tax/ Bank Account/Shops and Establishment Registration)

	*Name of the company		
1.	* Do you want to apply for GSTIN	O Yes	O No
2.	* State (Same as entered in SPICe+)		
3.	* District (Same as entered in SPICe+)		
4.	* State Jurisdiction		
	* Sector / Circle / Ward /Charge / Unit		
5.	* Center Jurisdiction		
	Commissionerate		
	Division		
	Range		
		Volunta	rv
6.	* Reason to Obtain Registration		

* Reason to Obtain Registration

7.	*Whether The Establishment On Lease O Yes O No
	* Leased From Date
	(a). * Nature of possession of premises
	(b) * Proof of Principal Place of Business
	(c) * Whether the building/premises of Establishment.is owned or hired.
	* If hired or there is a change in the name of Unit/ownership, please indicate
	* Leased From Date
8.	* Option for Composition O Yes O No

a) Composition Declaration

□ I hereby declare that aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or Rules for opting to pay tax under the composition levy.

- b) Category of Registered Person
- □ Manufacturer of non-notified goods
- □ Supplier of food and non-alcoholic drinks
- □ Any other eligible supplier

9. * Nature of Business Activity being carried out at above mentioned Premises (Please tick applicable)

Factory / Manufacturing	Wholesale Business	Retail Business	
Warehouse/Depot	Bonded Warehouse	Supplier of services	
Office/Sale Office	Leasing Business	Recipient of goods or services	
EOU/ STP/ EHTP	Works Contract	Export	
Import	Others (specify), If others, please specify		

(A). * Primary Business Activity	
*If Others selected, please specify	
 (B) * Exact nature of work / business * Work Sub-category * Nature of work business]]]
10. *Details of the Goods supplied by the BusinesHSN Code (Four digit)Description of Goods	refill

11. *Details of Services supplied by the Business.

Service Accounting Code	Pre-fi
Service Accounting Code	ı
Description of Services	

12. Directors / Primary Owners / Office Bearer/ Authorised Signatory for Banks and Profession Tax Details

(Minimum number of directors to be entered for OPC shall be 1, 2 in case of private company, 3 in case of public limited company and 5 in case of Producer Company)

Number of Director details to be entered

(A) *Enter Director details who is also an Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer

* O Directors Identification Number	er (DIN) O Permanent Account Num	ber (PAN)	
*DIN *PAN *First Name		Pre-fill	Photograph
Middle Name *Last Name		Attach Photogra	ph Remove Photograph

THE GAZETTE OF INDIA : EX	KTRAORDINARY
---------------------------	---------------------

*Personal Mobile Number	+91	Send OTP
*Personal Email Id		
*Enter OTP for Mobile Number		Verify OTP
*Enter OTP for Email Id		

Do you wish to perform Aadhaar authentication for GSTN registration **O** Yes **O** No

(B) *Director Details other than Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer

* O Directors Identification Number foreign national	er O Permanent Account Number /	Passport Number	·
*DIN		Pre-fill	Photograph
*PAN / Passport Number		•	
*First Name			
Middle Name			
*Last Name		Attach Photogra	Remove Photograph
*Personal Mobile Number			
*Personal Email ID]	
		1	

13. * F	Police	Station
----------------	--------	---------

14. * Employer's Particulars

* Select Appropriate Br	ranch Office
-------------------------	--------------

- * Select Inspection Office
- 15. *Bank Particulars
 - * Select Bank Name

16. E	Details	for	Shops	and	Establishment	Registration

Whether registration is required under Shops and Establishment Act **O** Yes **O** No

- 1. Category of Establishment
- 2. Nature of Business

Attachments

1.	*Proof of Principal place of business	Attach	
2.	*Proof of appointment of Authorized Signatory for GSTN	N Attach	
(Eith	er of the following document can be attached.		
Lett	er of Authorisation/ Copy of Resolution passed by BoD		
/ Ma	anaging Committee and Acceptance letter)		
3.	*Proof of Identity of Authorized Signatory for opening	Attach	
	Bank Account		
4.	*Proof of Address of Authorized Signatory for opening	Attach	
	Bank Account		Remove attachment
5.	*Specimen Signature of Authorized Signatory for EPEO	Attach	

GST Declaration (By Authorized Signatory)

□ I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

*ESIC Declaration (By Office Bearer)

□I hereby declare that the statement given above is correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake to intimate changes if any, promptly to the Regional Office/Sub Regional Office, ESI Corporation as soon as such change takes place.

Profession Tax Declaration

 $\hfill\square$ The above information is true to the best of my knowledge and belief

*EPFO Declaration (By Primary Owner)

□I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

*Bank Declaration (By Authorized Signatory)

□I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I authorize Bank and its officials to contact me/us on phone/ email/ sms for the purpose of opening of bank account.

I understand that the bank account number generated through this process will be shared with MCA by the banks.

I/we undertake to complete all documentary requirements as per bank KYC norms before activation of the account.

12

*Shops and Establishment (Delhi) Declaration (By Primary Owner)

□ I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place			
Date			
Designation			
*To be digitally sig * DIN/PAN	ned by director (who has signed	the SPICe+ form	1)

(Authorized Signatory / Primary Owner / Office Bearer signing the AGILE-PRO form shall provide his Permanent Account Number)

	Modify	Check Form	Prescrutiny	Submit	
--	--------	------------	-------------	--------	--

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

,,

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.158 (E), dated the 5th March, 2021.